प्रकरण संख्या 43/2016 श्रीमती नारायणीबाई बनाम श्रीमती गोपी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.08. 2019	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद घोशणा एवं निशेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर दिनांक 27.05.2016 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 से रूश्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 14.06.2016 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल जाट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 से 12 ओर से अधिवक्ता श्री सत्य प्रका''ा व्यास उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 14 व 15 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व आदे''िाका के अवलोकन से प्रकट आया कि प्रकरण प्रार्थना पत्र आदे''ा 8 नियम 9 जा.दी. के जवाब हेतु दिनांक 17.03.2016 को रखा गया। दिनांक 17.03.2016 पीठासीन अधिकारी के भ्रमण पर होने से पत्रावली दिनांक 19.05.2016 के लिए नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक के स्थान पर पत्रावली दिनांक 27.05.2016 को राजस्व लोक अदालत में रखी जाकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 की अनुपस्थिति में	

वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 5 को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्रथम दृश्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.05.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर उनसे साक्ष्य सबूत प्राप्त कर विधिक निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर